भा॰कृ॰अनु॰प॰–केन्द्रीय भेंड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर

फार्म अनुभाग

आम सूचना

सर्वसाधाारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय भेंड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर के फार्म अनुभाग के सैक्टर नम्बर–19 पर रबी मौसम में लगभग 50 हैक्टर बारानी भूमि पर तारामीरा/सरसों को हिस्सेदार पद्धति के आधार पर बुवाई करवाना हैं। जो किसान सबसे अधिक दाने का हिस्सा संस्थान को देगा उसे संस्थान कृषक सहभागिता अनुबन्ध पर दिया जायेगा।

अतः किसानो से अनुबन्ध हेतु कोटेशन आमन्त्रित हैं। कोटेशन में हिस्सेदारी को प्रतिशत मात्रा में दर्शाते हुए सभी किसानों द्वारा बन्द लिफाफे में 7 दिवस के अन्तर्गत संस्थान के भंण्डार अनुभाग में प्रस्तुत करने का श्रम करें। सभी कोटेशन किसानों से निवेदन है कि प्रक्षेत्र का भ्रमण करके कोटेशन प्रोफार्मा एवं शर्तो की जानकारी संस्थान की वेब–साईड www.cswri.res.in पर प्राप्त कर सकते हैं। ताकि किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न ना हो। अधिक जानकारी के लिए फार्म अनुभाग/भण्डार अनुभाग के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता हैं।

दिनांक–08.10.2021

प्रभारी, फार्म अनुभाग

भा०कृ०अनु०प०– केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर

फार्म अनुभाग

संस्थान-कृषक सहभागिता अनुबंध प्रस्ताव

दिनांक 08.10.2021

क्र० सं०	कार्य स्थल/ क्षेत्रफल	कार्य का विवरण	संस्थान का हिस्सा		अनुबंधकर्ता का हिस्सा	
			दाना	चारा/भूसा	दाना	चारा/भूसा
1	ब्लाक न०19 लगभग 50 हैक्टर बारानी	**रबी फसल**– तारामिरा / सरसों की बुवाई करना फसलों में निराई गुड़ाई करना, और उनकी देखभाल एवं रखवाली करना तथा पकने पर कटाई कर थ्रेसिंग करवाना। संस्थान के हिस्से का दाना को निर्देशित स्थान पर रखवाना होगा।	.....	-Nil -	.....	100%

कार्य करने के नियम व शर्ते

1. अनुबन्ध की अवधि केवल रबी फसल तक रहेगी, लेकिन कार्य की अवधि कम या अधिक भी की जा सकती है। यदि उक्त अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान या कार्य असंतोषजनक रहा तो अनुबन्ध निश्चित समय अवधि से पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।

2. कोटेशन प्रपत्र में दर्शायी गई तिलहनी चारा फसलों के उत्पादन हेतू श्रमिक,फसल उत्पादन हेतु बीज व उर्वरक स्वयं अनुबंधकर्ता को लाना होगा। इसके लिये अनुबंधकर्ता को संस्थान–कृषक सहभागिता कार्यक्रम के तहत कृषि कार्य करने हेतू बॉण्ड पत्र भरकर देना होगा जिस पर दो गवाह के हस्ताक्षर होने चाहियें। बॉण्ड का प्रारूप विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा । अमानत राशि रूपये 20,000=00 की एफ डी जमा करवानी होगी।

3. मौसम की अनुकूलता/प्रतिकूलता के अनुसार आपसी सहमति से बुवाई का क्षेत्रफल घटाया बढ़ाया जा सकता है।

4. अनुबंध की अवधि के दौरान अनुबंधकर्ता को खेत तैयार करने के लिये ट्रेक्टर एवं अन्य उपकरण स्वयं अनुबंधकर्ता को लाना होगा। साथ ही बन्य कार्य जैसे बीजों की बुवाई, फसलों की निराई–गुड़ाई रखवाली, पकने पर कटाई कर थ्रेसिंग करवाना इत्यादी सभी कार्य के लिये लगने वाले श्रमिक अनुबंधकर्ता के होंगे । संस्थान के हिस्से के दाना व चारा को निर्देशित स्थान पर भंडारण करना होगा । सभी कार्य स्वयं के खर्चे पर करने होंगे साथ ही कृषि कार्य में आने वाले सभी औजार अनुबंधकर्ता के स्वयं के होंगे तथा इस कार्य हेतु संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करवाई जायगी।

5. प्रक्षेत्र के उत्पाद के बँटवारे से सम्बंधित कार्य सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति के द्वारा किया जावेगा जो कि अनुबंधकर्ता को मान्य होगा । संस्थान के बंटवारे/ हिस्से में आने वाले दाने व चारे को प्रभारी विभाग या उनके प्रतिनिधि द्वारा बताये स्थान पर डलवाकर भंडारण करवाना होगा इस कार्य में लगने वाले श्रमिक स्वयं अनुबंध कर्ता को लगाने होगें।

6. प्रक्षेत्रों की पूर्ण रखवाली एवं रखरखाव की जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी। दिन व रात्रि में चारा फसलों कि रखवाली स्वयं अनुबन्धकर्ता को करनी होगी। रखवाली के दौरान बाहरी जानवरों द्वारा चारे को किसी प्रकार से नुकसान होता हैं तो उस नुकसान की भरपाई अनुबन्धकर्ता द्वारा की जावेगी। नुकसान का आकंलन सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा।

7. अनुबंध अवधि के दौरान मानसून, प्राकृतिक प्रकोप या अन्य कारणों से उत्पादन एवं अन्य कार्य प्रभावित होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा संस्थान द्वारा अनुबन्धकर्ता को किसी भी प्रकार हर्जाना/क्षतिपूर्ति राशि उपलब्ध नहीं करवाई जायेगी।

8. ठेकेदार/प्रतिनिधि को बताये गये सभी कार्य समय पर पूर्ण करने होंगे। कार्य अपूर्ण या समय से पूर्व छोड़ने पर या संतोषजनक नहीं होने पर संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता है जिसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की स्वयं की होगी। साथ ही भविष्य में कोई अनुबन्ध कार्य आवंटन नहीं किया जावेगा।

9. ठेकेदार/प्रतिनिधि द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई तो अनुबन्ध को निरस्त करते हुये अमानत/जमानत राशि जब्त करली जावेगी।

10. ठेकेदार/प्रतिनिधि को प्रक्षेंत्र में संस्थान की सम्पत्ति को नुकसान से बचाना होगा। यदि कोई नुकसान/चोरी/क्षति पहुँचाई जाने पर अनुबन्ध निरस्त कर अमानत व जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।

11. उपरोक्त सभी कार्यों की पूर्णता तभी मान्य होगी जब प्रभारी, फार्म अनुभाग व उनके प्रतिनिधि द्वारा कार्य सन्तोषजनक पूर्णता करने का प्रमाणित करेगे उसके बाद ही बँटवारा किया जावेगा यदि कार्य दिये गये माप दण्डों के अनुसार पूर्ण नही किया गया तो किये गये कार्य की मात्रा के अनुसार बँटवारा किया जावेगा।

12. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख–रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का GPF/PF/ESIइत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं को देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नही करेगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर करेगा।

13. ठेकेदार को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।

14. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय–पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटोयुक्त परिचय–पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर फार्म अनुभाग
में प्रस्तुत करना होगा। परिचय–पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो पहचान–पत्र आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।

15. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राशि नही दी जावेगी।

16. ठेकेदार द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।

17. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।

18. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।

19. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (संस्थान–कृषक सहभागिता कार्यक्रम के तहत) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।

20. संस्थान कें सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

21. ठेकेदार को 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा, जिसका प्रारूप क्रय अनुभाग से प्राप्त करना होगा।

प्रभारी फार्म अनुभाग

प्रभारी, क्रय अनुभाग